बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 16 का संशोधन।
3. धारा 29 का संशोधन।
4. धारा 34 का संशोधन।
5. धारा 37 का संशोधन।
6. धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
7. धारा 39 का संशोधन।
8. धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
9. धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप।
10. धारा 47 का संशोधन।
11. धारा 48 का संशोधन।
12. धारा 49 का संशोधन।
13. धारा 50 का संशोधन।
14. धारा 52 का संशोधन।
15. धारा 54 का संशोधन।
16. मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।
17. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।
18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट।
19. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है,

और, चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद, 213 के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–(1) यह अध्यादेश बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परंतु इस अध्यादेश के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जायेगा।

2. **धारा 16 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"मूल अधिनियम"** कहा गया है) की धारा 16 में :–

(क) उपधारा (2) में,–

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों"

(ii) खंड (ग) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जायेगा :–

(ख) उपधारा (4) में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" शब्द रखे जायेंगे।

3. **धारा 29 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,–

(क) खंड (ख) में, "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी" शब्द रखे जायेंगे :

(ख) खंड (ग) में, "लगातार छह मास की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाये, के लिए" शब्द रखे जायेंगे।

4. **धारा 34 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में "सितम्बर मास" शब्द के स्थान पर "30 नवम्बर" शब्द रखे जायेंगे।

5. **धारा 37 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 37 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(i) "इलेक्ट्रोनिक रूप में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए इलेक्ट्रोनिक रूप में और" शब्द रखे जायेंगे :

(ii) "उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किए जायेंगे" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाये, संसूचित किए जाये" शब्द रखे जायेंगे :

(iii) पहले परंतुक का लोप किया जायेगा :

(iv) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जायेगा :

(v) तीसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखा जायेंगे :

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जायेगा :

(ग) उपधारा (3) में,–

(i) "जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं" शब्दों का लोप किया जायेगा :

(ii) पहले परंतुक में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "30 नवम्बर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्" शब्द रखे जायेंगे :

(घ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं"।

6. **धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।**– मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात :–

"38 आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना–(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाये, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रोनिक ढंग से उपलब्ध करवाए जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकेगा, और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे जिनकी बावत प्राप्तकर्ता द्वारा, चाहे पूर्णतः या अंशतः, ऐसे प्रत्यय का लाभ नहीं लिया जा सकेगा, चूँकि अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे –

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि, जो विहित की जाये, के भीतर प्रस्तुत किये गये हैं ; या

(ii) कर के संदाय में व्यतिक्रम करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाये, निरंतर रहा है; या

(iii) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसके द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार विहित की जाने वाली अवधि हेतु संदेय आउटपुट कर उसी अवधि हेतु उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से ऐसी सीमा से अधिक है जो विहित की जाये ; या

(iv) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाये, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है जो खंड (क) के अनुसार उपलब्ध प्रत्यय से ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाये; या

(v) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन जो विहित किए जाये, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग, जो विहित किए जाये, द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।"

7. **धारा 39 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 39 में :–

(क) उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द रखा जायेगा :

(ख) उपधारा (7) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात–

"परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये –

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए नपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाये, अवधारित रकम, का संदाय करेगा।",

(ग) उपधारा (9) में,–

(i) "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जहां" शब्द रखा जायेगा,

(ii) परंतुक में, "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" शब्दों के स्थान पर, "30 नवम्बर" अंक और शब्द रखे जायेंगे,

(घ) उपधारा (10) में, "विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात :–

"पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हों।"।

8. **धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।**– मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात :–

"**41 इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग**– (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाये, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जायेगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगा :

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में जो विहित की जाये, पुनः प्राप्त कर सकेगा।"।

9. **धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप।** – मूल अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप किया जायेगा।"।

10. **धारा 47 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,–

(क) "या आवक" शब्दों का लोप किया जायेगा :

(ख) "या धारा 38" शब्दों और अंकों का लोप किया जायेगा :

(ग) "धारा 39 या धारा 45" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 52" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जायेंगे।

11. **धारा 48 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में," धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे" शब्दों और अंकों का लोप किया जायेगा।

12. **धारा 49 का संशोधन।**– मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 49 में,–

(क) उपधारा (2) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंको और अक्षर का लोप किया जायेगा;

(ख) उपधारा (4) में, "ऐसी शर्तों" शब्दों के पश्चात, "और निर्बंधनों" शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।"।

13. **धारा 50 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, की जायेगी।"।

14. **धारा 52 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, "आने वाले सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवम्बर" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

15. **धारा 54 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 54 में, –

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों और अंकों के स्थान पर "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जायेंगे;

(ग) उपधारा (10) में, "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जायेगा;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;"।

16. **मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।**–(1) मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 128, तारीख 23 जनवरी, 2018 में संशोधन किए जायेंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जायेंगे अर्थात्:–

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जायेगी मानो कि राज्य सरकार को, मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

17. **मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।**–

(1) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना सं. एस0ओ0 101, तारीख 29 जून, 2017 में संशोधन किए जायेंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जायेगी, मानो राज्य सरकार को मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

18. **कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट।**– (1) राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 65, तारीख 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

19. **मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव।**—उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 371, तारीख 30 सितंबर, 2019, राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जो मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, 1 जुलाई 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(2) ऐसे सभी राज्य–कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

पटना :
दिनांक 26 सितम्बर, 2022 (ई0)।

(ह0) फागू चौहान,
बिहार–राज्यपाल ।

प्रथम अनुसूची

[धारा 16(1) देखें।]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख।
1	2	3
वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 128, तारीख 23 जनवरी, 2018।	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:– "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा निपटारे और जैसे अधिसूचना सं. एस0ओ0 401, तारीख 26 दिसंबर, 2019 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्य।"।	22 जून, 2017

द्वितीय अनुसूची

[धारा 17(1) देखें।]

अधिसूचना संख्या और तारीख।	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख।
1	2	3
वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 101, तारीख 29 जून, 2017।	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (3) में, "24" अंकों के स्थान पर, "18" अंक रखे जायेंगे।	1 जुलाई, 2017

बि0स0गु0 (विधि), 5–डी0टी0पी0–750

भारत–संविधान के अनुच्छेद, 213 के खंड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना :
दिनांक 26 सितम्बर, 2022 (ई0)।

(ह0) फागू चौहान,
बिहार-राज्यपाल ।

सत्य–प्रति

(रूद्र प्रकाश मिश्र),
सचिव, विधि विभाग,
बिहार सरकार।